



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 887

दिनांक : 29.8.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. विभागीय पत्रांक 1813 दिनांक 19.05.2023
2. इस कार्यालय के पत्रांक 390 दिनांक 12.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की समीक्षोपरांत विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा तीन (3) बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

उपरोक्त राज्य सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 1544 दिनांक 21.08.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदानुसार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् प्रतिवेदित है:-

क्रमांक	पृच्छाएं	निराकरण प्रतिवेदन
1.	CWLW का मंतव्य।	इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त ज्ञाप पत्र की छायाप्रति इस कार्यालय के पत्रांक 581 दिनांक 02.06.2023 द्वारा पुनः विभाग को उपलब्ध कराया गया है।
2.	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।	इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक 12.08.2023 द्वारा पृच्छा के अनुपालन में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के पत्रांक-वनभूमि (विविध)-02-2022-3065 व0प0, दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित दिशा-निदेशों के अनुसार अनुरोध किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज- I की स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज- II स्वीकृति के पूर्व वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है।



3.	प्रस्ताव के पार्ट-II एवं प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित घनत्व में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक 390 दिनांक 12.04.2023 में टंकण भूलवश वनस्पति घनत्व 0.2 अंकित हो गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल के पार्ट-II में वनस्पति घनत्व 0.45 अंकित है। अतः पार्ट-II के अनुसार वनस्पति घनत्व को 0.45 पढ़ा जाय।
----	--	--

उपरोक्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन सानुलग्नक छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,


29/8/23
प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वनज संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर ।
(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो0-सोनारी, जमशेदपुर-831011)
दूरभाष संख्या- 0657-2222995, मेल- rccf-singhbhum@gov.in



पत्रांक.....1544 / जमशेदपुर -11, दिनांक 21-08-2023 जहाँ है सचिवालयी ।
वहाँ है कुचमाली ॥

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
-सह-
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।



मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन् पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन् हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 15/2023-1813 दिनांक 19.05.2023
2. भवदीय पत्रांक 692 दिनांक 06.07.2023
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 981 दिनांक 19.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर सूचित करना है कि मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा खनन् पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन् हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रसंगाधीन पत्र - 1 द्वारा 2 (दो) बिन्दुओं पर कृत पृच्छओं का निराकरण संबंधित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के प्रसंगाधीन पत्र - 3 द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार निराकरण की स्थिति निम्नवत् है :-

क्रमांक	विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
I.	CWLW का मंतव्य ।	भवदीय ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 (छायाप्रति संलग्न; अनुलग्नक - 01) में प्रतिवेदित है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है ।

(Handwritten mark)

II.	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।	प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023 दिनांक 12.08.2023 (छायाप्रति संलग्न; अनुलग्नक-02) द्वारा इस पृच्छा के अनुपालन के संबंध में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक वनभूमि (विविध)-02/2022-3065 व०प० राँची दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आलोक में प्रतिवेदित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज-I की स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज-II स्वीकृति के पूर्व FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रस्ताव पर अनुशांसा हेतु अनुरोध किया गया है।
-----	--	--

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के प्रसंगाधीन पत्र - 3 की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त निराकरण के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

BL
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर
BL
21/08/23

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

(वन भवन, सोनारी, जमशेदपुर-831011)

दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स - 0657-2223430, ई-मेल - cf-jamshedpur@gov.in



अर्थ के दृष्टिकोण से
वन ही अन्नदाता है

पत्रांक : 981

दिनांक : 19.08.2023

21/08/23
सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।

4/8/23

विषय:- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग :-
1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 15/2023-1813 दिनांक 19.05.2023
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 554 दिनांक 24.05.2023, ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्रांक 692 दिनांक 06.07.2023
 3. आपका ज्ञापांक 1255 दिनांक 13.07.2023
 4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर का पत्रांक 1872 दिनांक 19.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा विषयगत परियोजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रस्ताव से संबंधित पृच्छित बिन्दु संख्या I एवं II का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है :-

विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
I. CWLW का मंतव्य।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-01) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है।
II. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठको की कार्यवाही के साथ)।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023 दिनांक 12.08.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-02) द्वारा बिन्दु संख्या II के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक वनभूमि (विविध)-02/2022-3065 व०प० राँची दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आलोक में सूचित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज-1 की




(211)

स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज-II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रस्ताव के संबंध में अनुशंसा हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु० - यथोक्त।



आपका विश्वासी

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

19/08/2023

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर-831001)

दूरभाष संख्या- 0657-2231017, फ़ैक्स-0657-2231017, ई-मेल- dfo-jamshedpur@gov.in



पत्रांक: 1872/जमशेदपुर

दिनांक: 19/02/2023

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।

विषय:-

मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरवा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 15/2023-1813 दिनांक 19.05.2023
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 554 दिनांक 24.05.2023, ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्रांक 692 दिनांक 06.07.2023
- आपका ज्ञापांक 859 दिनांक 25.07.2023

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रस्ताव से संबंधित पृच्छित बिन्दु संख्या 1 एवं 11 का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित किया जा रहा है :-

विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
I. CWLW का संतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-01) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा संतव्य प्राप्त हुआ है।
II. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।	प्रयोजित अभिकरण ने अपने पत्रांक HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023 दिनांक 12.08.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-02) द्वारा बिन्दु संख्या 11 के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक वनभूमि (विविध)-02/2022-3065 व०प० राँची दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आलोक में प्रतिवेदित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज-1 की


209

स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज-II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व ERA प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रस्ताव के संबंध में अनुसंधान हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु० - यथोक्त।

आपका विश्वासी


18/02/2023
वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमशेदपुर वन प्रमंडल
जमशेदपुर।

अनु० - ०१



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन नवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : nccf-cilnodal@gov.in

पत्रांक : राँची :

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 1813 दिनांक 19.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभाग को प्रेषित इस कार्यालय का पत्रांक 390 दिनांक 12.04.2023 की कड़िका- 42 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंजूरी प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 581

दिनांक 02/6/2023

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर / डी०जी०एम०आई०/सी० एण्ड यूनिट हेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, मरुमंडार, पूर्वी सिंहभूम-832103 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



02.06.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

207

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
इन्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स
पो. ऑ. मुबन्दार - 832103
जिला-पूर्वीसिंहभूम (झारखण्ड)



HINDUSTAN COPPER LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
INDIAN COPPER COMPLEX
P.O. MOUBHANDAR - 832103
Dist. East Singhbhum (Jharkhand)
Ph : (06585) 225878 (Unit Head)
e-mail: shyam_ss@hindustancopper.com
Website: www.hindustancopper.com

3F30-02

CIN : L27201WB1967GOI028825

Ref. No: HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023

Date: 12.08.2023

To
The Divisional Forest Officer
Jamshedpur

F.C.A.
14/8

Sub: Diversion of remaining 65.52 ha forest land for Underground mining purpose within Surda Mining Lease in favour of M/s Hindustan Copper Limited in district East Singhbhum, Jharkhand.

Ref: Query on proposal no. FP/JH/MIN/14787/2020 raised through PARIVESH portal on 14.06.2023 (Annexure-1)

Madam,

In connection with the query under reference on above subject proposal the submission of Hindustan Copper Limited is as follows:

Query	Directive	Submission of HCL
NoC under FRA 2006 issued by concerned DC (alongwith copy of the proceedings of the meeting in this regard)	To submit the NoC under FRA 2006 issued by concerned DC regarding diversion of proposed forest land and copy of proceedings of Gramsabha	Forest, Environment and Climate Change department of Govt. of Jharkhand vide letter no. 3065, dtd. 08.08.2023 has decided that under Forest Conservation Act, 1980 NoC under FRA is required to be ensured after Stage-I approval but before recommendation of Stage-II approval. Copy of the said letter is enclosed as Annexure-2 as ready reference.

In view of submission of HCL, it is requested to further recommend the proposal for diversion of remaining 65.52 ha forest land for Underground mining purpose within Surda Mining Lease in favour of M/s Hindustan Copper Limited in district East Singhbhum, Jharkhand.

Thanking you,



Yours faithfully,

(S S Sethi)

GM & Unit Head
Indian Copper Complex
Ghatsila

Additional stamps and signatures at the bottom right of the page.

भारत सरकार
जन. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

जन. पर्यावरण-जनगृही (विधि)-02/2022-3065 सं०, संघी, दिनांक- 08-08-2022

सेवा

उलज कुमार,
उप. परामर्शी।

शेष में,

प्रधान मुख्य जन सहायक-सह-कार्यकारी निदेशक,
भंडार गृही विभाग, बेल, भारतखण्ड, संघी।

विषय :- जनगृही आयोजना प्रस्तावों में प्रयोज्य अधिकारण से FRA, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

- 1. दिनांकीय पत्रांक-जनगृही-10/2021-3018 दिनांक-22.10.2021
- 2. दिनांकीय आदेश-जनगृही (विधि)-05/2022-3725 दिनांक-15.12.2022

संदर्भ

निर्देशानुसार जनगृही विभाग दिनांकीय पत्रांक-जनगृही-10/2021-3018 दिनांक-22.10.2021 द्वारा जन सहायक अधिकारी के तहत समर्पित प्रस्तावों में स्टेशन-I के शर्तों के अनुपालन के संबंध में FRA, 2006 के तहत कार्रवाई पूर्ण करने एवं संबंधित BCCL की सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए जनगृही प्रमाण-पत्र की मांग करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

अपरोक्ष प्रस्ताव से संबंधित शर्तिका में प्राप्त आदेश के अनुसार FRA प्रमाण-पत्र के सिद्ध पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाशयिता का मतवा प्राप्त की गई।

विद्वान महाशयिता का परामर्श निम्नवत् उद्घृत है:-

"From the above documents, it is evident that compliance of FRA, 2006 is not mandatory for sending proposal for approval of Stage-I clearance in Kuisa Colliery. However, same is required to be complied with eventually."

इस बीच FC Rules 2022 के आलोक में PSC के भंडार संबंधी प्रस्ताव से संबंधी शर्तिका में प्राप्त आदेश के आलोक में दिनांकीय पत्रांक-3725 दिनांक-15.12.2022 द्वारा पूर्ण की गी Stage-I/II Clearance के पूर्ण FRA का अनुपालन एवं प्राप्त राशि की सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान महाशयिता के मतवा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जन सहायक अधिकारी 2020 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेशन-I की शर्तिका के अनुसार परंतु स्टेशन-II का अनुपालन के पूरे FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त करवा सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में जनगृही आयोजना से संबंधित सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

निराकराज
(उलज कुमार)
उप परामर्शी।

जन. पर्यावरण-जनगृही (विधि)-02/2022-3065 सं०, संघी, दिनांक- 08-08-2022

प्रतिविधि-प्रधान मुख्य जन सहायक, भारतखण्ड, संघी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उलज कुमार)
उप परामर्शी।

